



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1082/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
वरूण खंडेलवाल एफ ई-20, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लो0सू0अ0 रीको लिमिटेड, उधोग भवन, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 27-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री महेन्द्र सिंह, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 13-6-17 के द्वारा मेडिकल डिजाइन एफ. 28 एन. मालवीय इण्डस्ट्रियल ऐरिया, जयपुर से सम्बन्धित फाइल की नोटशीट, कम्पनी के प्रस्ताव की प्रति, बकाया आदि के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 4-8-17 से सूचना का प्रेषण कर दिया गया था एवं प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में समुचित कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध सूचना प्रदान की जा चुकी है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 22-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 7-11-17 से प्रथम अपीलीय निर्णय के अनुसरण में संसूचित किया गया था कि वह अपने आवेदन दिनांक 13-6-17 के बिन्दु संख्या 2, 3, 5 एवं 6 के सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेखों का अवलोकन करलें एवं चिन्हित पृष्ठों की सूचना प्राप्त कर लें।
7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखादि से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर सम्बन्धित पत्रावलियों का

अवलोकन कर दस्तावेजों की चिन्हित सूची उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है।

8. प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र द्वारा एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आमंत्रित कर लें। अपीलार्थी के अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा चिन्हित एवं नियमानुसार देय सूचना के अधिकतम 25 पृष्ठ तक निःशुल्क एवं इससे अधिक पृष्ठों के लिए नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर सूचना अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करा दें।

9. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त